

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जसवंत सिंह, जे.)

जसवंत सिंह और संत प्रकाश जे. जे. के समक्ष,

प्रो स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड के द्वारा

निदेशक श्री मुकेश कुमार, गुडगांव, हरियाणा -

याचिकाकर्ता

बनाम

प्रधान आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, गुरुग्राम, हरियाणा एवं

अन्य -

प्रतिवादी

2020 का सीडब्ल्यूपी No.8341

21 जनवरी, 2021

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद-14 और 226-वित्त अधिनियम, 2019-एस. 121 (जी) और (एम), 123,124,125-सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019-जांच शुरू करने के एकमात्र आधार पर एमनेस्टी सर्वक्षमा योजना के तहत स्वैच्छिक प्रकटीकरणों/घोषणाओं को अस्वीकार करने की चुनौती को अनुचित ठहराया गया याचिका मंजूर योजना लागू होने के बाद शुरू की गई कोई भी जांच/लेखा परीक्षा/जांच किसी भी व्यक्ति को अयोग्य नहीं बना सकती-मुकदमेबाजी को कम करने और लंबित बकाया का

एहसास करने के लिए शुरू की गई एमनेस्टी-योजना को उदार व्याख्या दी जानी चाहिए जो इसे सफल बनाती है-सख्त व्याख्या से बचा जाना चाहिए-इरादे और उद्देश्य को निराश करती है।

माना गया कि, प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों और मामले के रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, हमें पता चला कि सरकार ने मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने और लंबित बकाया का भुगतान करने के सर्वक्षम एमनेस्टी योजना शुरू की है। वादकारी फायदेमंद थे क्योंकि उन्हें ब्याज और जुर्माने से छूट मिली थी और सरकार ने मुकदमेबाजी के बिना बकाया राशि का भुगतान किया था। हालाँकि यह योजना कर अधिनियम का हिस्सा है, फिर भी यह लाभकारी अधिनियम का हिस्सा है। (पैरा 5)

आगे माना गया कि विवाद की दिशा संकीर्ण है। प्रतिवादी के अनुसार, घोषणाकर्ता को आवेदन दाखिल करने की तारीख पर जांच, पड़ताल या लेखा परीक्षा के अधीन नहीं किया जाना चाहिए, जबकि याचिकाकर्ता के अनुसार 30 जून, 2019 को सभी श्रेणियों के लिए अंतिम तिथि थी और घोषणा 01.09.2019 से 31.12.2019 के बीच में दायर की जा सकती थी, इस प्रकार 01.09.2019 के बाद कोई भी जांच एक घोषणाकर्ता को इस लाभकारी कानून से वंचित नहीं कर सकती है। प्रतिवादी के तर्क का आधार वित्त अधिनियम, 2019 की धारा 125 पर आधारित है।

(पैरा 6)

इसके अलावा यह माना गया कि सर्वक्षमा एमनेस्टी योजना लाभकारी कानून और उदार व्याख्या का एक हिस्सा है जो योजना को सफल बनाता है। लाभकारी विधान के इरादे और उद्देश्य को हतोत्साहित करने वाली सख्त व्याख्या से बचा जाना चाहिए। हमारी राय मजबूत हुई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले से ब्रह्मपाल @ सम्मय और अन्य बनाम राष्ट्रीय बीमा कम्पनी, 2020 की दीवानी याचिका सं 2926 जो 07.08.2020 पर निर्णय लिया। (पैरा 12)

आगे माना गया कि धारा 125 (1) (च) किसी व्यक्ति को किसी भी जांच या पड़ताल या लेखा परीक्षा के अधीन होने के बाद स्वैच्छिक प्रकटीकरण करने से रोकती है। प्रतिवादी के अनुसार, जांच शुरू करने की तारीख अप्रासंगिक है क्योंकि उपरोक्त खंड उस व्यक्ति को प्रतिबंधित करता है जिसे जांच के अधीन किया गया है। यदि घोषणा दाखिल करने की तारीख को, जांच के रूप में कुछ नोटिस लंबित है, यद्यपि 01.09.2019 के बाद जारी किया जाता है, तो आवेदक को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (संक्षेप में 'बोर्ड') ने योजना के दायरे को बढ़ाने के लिए विभिन्न परिपत्र जारी किए हैं। सर्कुलर दिनांक 29.10.2019 एक व्यक्ति को घोषणा दायर करने की अनुमति देता है जिसने 30.06.2019 के बाद अपील दायर की है, यद्यपि वह एफ. ए., 2019 के अनुसार अन्यथा हकदार नहीं है। इसी तरह, दिनांक 12.12.2019

के परिपत्र के पैरा 2 (viii) के अनुसार, जहां 1.7.2019 को या उसके बाद कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया है, आवेदक योजना का विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं है, फिर भी 'बकाया' की श्रेणी के तहत आवेदन दायर किया जा सकता है। (पैरा 13)

आगे माना गया कि हमारी अदालतें टालने योग्य मुकदमेबाजी से भरी हुई हैं और सरकार ने वर्तमान योजना के माध्यम से मुकदमेबाजी को कम करने और राजस्व उत्पन्न करने के लिए कदम उठाए हैं, इस प्रकार योजना के इरादे और उद्देश्य के साथ-साथ बोर्ड परिपत्र को ध्यान में रखते हुए, एफ. ए., 2019 की धारा 125 की उदारता से व्याख्या करना उचित होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि स्वैच्छिक प्रकटीकरण के मामले में, एफ. ए., 2019 की धारा 124 (1) (ई) के अनुसार कर देयता से कोई छूट उपलब्ध नहीं है, यद्यपि अवशिष्ट सहित अन्य श्रेणियों में कर देयता को 40 प्रतिशत से छूट उपलब्ध है। (पैरा 15)

आगे माना गया कि यह योजना डब्ल्यू. ई. एफ. 01.09.2019 से लागू हुई, इस प्रकार उपरोक्त तिथि के बाद शुरू की गई कोई भी जांच/लेखा परीक्षा/पड़ताल किसी भी व्यक्ति को अयोग्य नहीं बना सकती क्योंकि 01.09.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि आवेदन दाखिल करने के लिए है और 01.09.2019 के बाद होने वाली कोई भी घटना किसी भी व्यक्ति को योग्य या अयोग्य नहीं बना सकती है। कोई भी अन्य व्याख्या या योजना के साथ-साथ संविधान का अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगी।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जसवंत सिंह, जे.)

क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच भेदभाव होगा जो समान रूप से 01.09.2019 पर स्थित हैं लेकिन उनमें से किसी एक के खिलाफ जांच शुरू की जाती है। (पैरा 16)

जगमोहन बंसल, अधिवक्ता
याचिकाकर्ता (गण) के लिए (दोनों मामलों में)।

तेजिंदर के. जोशी, अधिवक्ता
प्रतिवादी के लिए (2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 8341 में)।

सौरभ गोयल, अधिवक्ता
प्रतिवादी के लिए (2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 9132 में)

जसवंत सिंह, जे।

(1) इस आदेश द्वारा, 2020 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 8341 और 2020 की 9132 वाली दोनों रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है, जिनमें सामान्य मुद्दे (मुद्दे) शामिल हैं। याचिकाकर्ता तत्काल याचिकाओं द्वारा से उन आदेशों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं जिनके तहत सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 (संक्षेप में 'एमनेस्टी योजना') के तहत दायर उनकी विभिन्न घोषणाओं को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि विभाग ने घोषणा दाखिल करने की तारीख से पहले ही जांच शुरू कर दी है। सर्वक्षमा योजना वित्त अधिनियम, 2019 (संक्षेप में 'एफ. ए., 2019') द्वारा शुरू की गई थी।

(2) सुविधा के लिए, 2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 8341 से तथ्य उधार लिए गए हैं। 2016-17 के दौरान याचिकाकर्ता ने न तो सेवा कर विवरणी दाखिल की और न ही वित्त अधिनियम, 1994 के तहत आवश्यक सेवा कर का भुगतान किया। याचिकाकर्ता ने उपरोक्त सर्वक्षमा योजना की शुरुआत पर 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' श्रेणी के तहत 31.12.2019 दिनांकित घोषणा दायर की। प्रतिवादी ने दिनांक 22.02.2020 (अनुलग्नक पी-8) के आदेश के माध्यम से यह कहते हुए घोषणा को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता पहले से ही एक जांच के अधीन है, इस प्रकार 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' की श्रेणी के तहत घोषणा बनाए रखने योग्य नहीं है।

(3) याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि घोषणा 31.12.2019 पर दायर की गई थी और पत्र दिनांक 14.10.2019 जो कथित जांच का आधार है, याचिकाकर्ता को कभी नहीं दिया गया था और आगे 1.9.2019 यानी योजना शुरू होने की तारीख के बाद शुरू की गई कोई भी जांच अप्रासंगिक है। विभिन्न श्रेणियों के आवेदकों के संबंध में, 30 जून 2019 को अंतिम तिथि के रूप में अधिसूचित किया गया है, लेकिन स्वैच्छिक श्रेणी के संबंध में कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए 31.8.2019 को प्रासंगिक तिथि माना जाना चाहिए क्योंकि घोषणा 1.9.2019 से 31.12.2019 के बीच दायर की जा सकती है।

(4) प्रतिवादी के वकील ने जोरदार अनुरोध किया कि 30 जून 2019 को वित्त अधिनियम, 2019 की धारा 123 और 125 के तहत विभिन्न श्रेणियों के आवेदकों के लिए अंतिम तिथि के रूप में अधिसूचित किया गया है और 'स्वैच्छक प्रकटीकरण' की श्रेणी के लिए कोई तारीख अधिसूचित नहीं की गई है, इसलिए याचिकाकर्ता सर्वक्षमा योजना के लाभ के लिए अयोग्य हैं, भले ही जांच 1.9.2019 यानी योजना शुरू होने की तारीख के बाद शुरू की गई थी।

(5) प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों और मामले के रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, हम पाते हैं कि सरकार ने मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने और लंबित बकाया का भुगतान करने के सर्वक्षमा योजना शुरू की है। वादकारी फायदेमंद थे क्योंकि उन्हें ब्याज और जुर्माने से छूट मिली थी और सरकार ने मुकदमेबाजी के बिना बकाया राशि का भुगतान किया था। हालाँकि यह योजना कर अधिनियम का हिस्सा है, फिर भी यह लाभकारी अधिनियम का हिस्सा है।

(6) विवाद संकीर्ण दिशा में है। प्रतिवादी के अनुसार, घोषणाकर्ता को आवेदन दाखिल करने की तारीख पर पूछताछ, जांच या लेखा परीक्षा के अधीन नहीं किया जाना चाहिए, जबकि याचिकाकर्ता के अनुसार 30 जून 2019 सभी श्रेणियों के लिए अंतिम तिथि थी और घोषणा 01.09.2019 से 31.12.2019 के बीच में दायर की जा सकती थी, इस प्रकार 01.09.2019 के बाद कोई भी जांच किसी घोषणाकर्ता को इस लाभकारी कानून से

वंचित नहीं कर सकती है।प्रतिवादी के तर्क का आधार वित्त अधिनियम, 2019 की धारा 125 पर आधारित है।धारा 123,124 और 125 वर्तमान विवाद के निपटारे के लिए प्रासंगिक हैं, जिन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

धारा 123 कर देय।—योजना के प्रयोजनों के लिए, "कर बकाया" का अर्थ है -

(i) जहां किसी आदेश से उत्पन्न होने वाली एक अपील अपीलीय मंच के समक्ष 30 जून, 2019 को लंबित है, वहां शुल्क की कुल राशि जो उक्त अपील में विवादित है;

((ii) किसी आदेश से उत्पन्न होने वाली एक से अधिक अपील, एक घोषणाकर्ता द्वारा और दूसरी विभागीय अपील, जो अपीलीय मंच के समक्ष 30 जून, 2019 को लंबित है, उस शुल्क की राशि का योग जो घोषणाकर्ता द्वारा अपनी अपील में विवादित की जा रही है और विभागीय अपील में विवादित की जा रही शुल्क की राशि:

बशर्ते कि उपरोक्त खंडों में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा जहां ऐसी अपील की सुनवाई अंततः 30 जून, 2019 को या उससे पहले की गई हो।

चित्रण 1:एक घोषणाकर्ता को कारण बताएँ नोटिस 1000 रुपये की शुल्क राशि के लिए था और Rs.100 के जुर्माने की राशि।यह आदेश Rs.1000 की शुल्क राशि और Rs.100 के जुर्माने की राशि के लिए था।घोषणाकर्ता इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करता है।शुल्क की राशि जिस पर विवाद हो रहा है वह Rs.1000 है और इसलिए कर बकाया 1000 रु.।

केंद्रीय अच्छा और सेवा कर (जसवंत सिंह, जे.)

चित्रण 2: एक घोषणाकर्ता को कारण बताएँ नोटिस 1000 रु0 रुपये की शुल्क राशि के लिए था और Rs.100 के जुर्माने की राशि। यह आदेश 900 रुपये की शुल्क राशि के लिए था। और Rs.90 का जुर्माना। घोषणाकर्ता इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करता है। शुल्क की राशि जिस पर विवाद हो रहा है वह रु 900 और इसलिए कर बकाया Rs.900 है।

चित्रण 3: एक घोषणाकर्ता को कारण बताएँ नोटिस 1000 रुपये की शुल्क राशि के लिए था और Rs.100 के जुर्माने की राशि। यह आदेश 900 रुपये की शुल्क राशि के लिए था और 90 रुपये का जुर्माना। घोषणाकर्ता निर्धारण के इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करता है। विभागीय अपील Rs.100 की शुल्क राशि और Rs.10 के जुर्माने के लिए है। शुल्क की जो राशि विवादित है वह Rs.900 प्लस Rs.100 यानी Rs.1000 है और इसलिए कर बकाया रु1000 है।

चित्रण 4: एक घोषणाकर्ता को कारण बताएँ नोटिस Rs.1000 की शुल्क राशि के लिए था। आदेश Rs.1000 की शुल्क राशि के लिए था। घोषणाकर्ता निर्धारण के इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करता है। पहले अपीलीय प्राधिकरण ने शुल्क की राशि को घटाकर Rs.900 कर दिया। घोषणाकर्ता दूसरी अपील दायर करता है। शुल्क की राशि जिस पर विवाद हो रहा है वह Rs.900 है और इसलिए कर बकाया Rs.900 है।

(ख) जहां किसी भी अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के तहत उद्घोषक को 30 जून, 2019 को या उससे पहले कारण दर्शाओ नोटिस प्राप्त हुआ है, तो उक्त नोटिस में उद्घोषक द्वारा देय शुल्क की राशि बताई गई है:

बशर्ते कि यदि उक्त सूचना उद्घोषक और अन्य व्यक्तियों को जारी की गई है जो उन्हें किसी राशि के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी बनाते हैं, तो उक्त सूचना में बताये गयी राशि को संयुक्त रूप से और अलग-अलग देय घोषितकर्ता द्वारा देय शुल्क की राशि माना जाएगा।

(ग) जहां उद्घोषक के खिलाफ कोई जांच या पड़ताल या लेखा परीक्षा लंबित है, वहां किसी भी अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के तहत देय शुल्क की राशि जिसकी सीमा 30.06.2019 को या उससे पहले निर्धारित की गई है।

(घ) जहां घोषणाकर्ता द्वारा स्वेच्छा से राशि का खुलासा किया गया है, तो घोषणा में बताई गई शुल्क की कुल राशि;

((ड) जहां घोषणाकर्ता से संबंधित अवशिष्ट राशि देय है, वहां अवशिष्ट राशि।

धारा 124 योजना के तहत उपलब्ध राहत:

(1) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, इस योजना के तहत एक घोषणाकर्ता को उपलब्ध राहत की गणना निम्नानुसार की जाएगी:—

((क) जहां देय कर का संबंध किसी कारणदर्शक सूचना या ऐसी सूचना से उत्पन्न होने वाली एक या अधिक अपीलों से है जो 30 जून, 2019 को लंबित है और यदि शुल्क की राशि निम्नलिखित है -

- (i) पचास लाख रुपये या उससे कम, तो कर बकाया का सत्तर प्रतिशत;
- ((ii) पचास लाख रुपये से अधिक, तो कर बकाया का पचास प्रतिशत ;
- (ख) जहां कर बकाया केवल विलंब शुल्क या जुर्माने के लिए कारणदर्शक नोटिस से संबंधित है, और उक्त नोटिस में शुल्क की राशि का भुगतान किया गया है या शून्य है, तो विलंब शुल्क या जुर्माने की पूरी राशि;
- (ग) जहां कर अवशिष्ट अवशिष्ट राशि से संबंधित है और -
- ((i) शुल्क की राशि पचास लाख रुपये या उससे कम है, तो साठ प्रतिशत। कर बकाया का;
- ((ii) शुल्क की राशि पचास लाख रुपये से अधिक है, तो चालीस प्रतिशत। कर बकाया का;
- (iii) अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के तहत एक विवरणी में, जिसमें घोषणाकर्ता ने देय शुल्क की राशि का संकेत दिया है, लेकिन इसका भुगतान नहीं किया है और दर्शाई गई शुल्क राशि है: -
- (क) पचास लाख रुपये या उससे कम, तो कर बकाया का साठ प्रतिशत;
- (ख) इंगित राशि पचास लाख रुपये से अधिक है, तो कर बकाया का चालीस प्रतिशत;

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जसवंत सिंह, जे.)

(घ) जहां कर बकाया घोषणा करने वाले के खिलाफ जांच, जांच या लेखा परीक्षा से जुड़ा हुआ है और 30 जून, 2019 को या उससे पहले निर्धारित राशि है -

(i) पचास लाख रुपये या उससे कम, तो कर देय राशि का सत्तर प्रतिशत;

(ii) पचास लाख रुपये से अधिक, तो कर देय राशि का पचास प्रतिशत;

(ङ) जहां घोषणाकर्ता द्वारा स्वैच्छिक प्रकटीकरण के कारण कर बकाया का भुगतान किया जाता है, तो कर बकाया के संबंध में कोई राहत उपलब्ध नहीं होगी।

(2) उप-धारा (1) के तहत गणना की गई राहत इस शर्त के अधीन होगी कि अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के तहत अपीलीय कार्यवाही के किसी भी चरण में पूर्व-जमा के रूप में या जांच, जांच या लेखा परीक्षा के दौरान जमा के रूप में भुगतान की गई कोई भी राशि, घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि का संकेत देने वाला विवरण जारी करते समय काट ली जाएगी:

बशर्ते कि यदि घोषणाकर्ता द्वारा पहले से भुगतान की गई पूर्व-जमा या जमा की राशि घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि से अधिक है, जैसा कि नामित

समिति द्वारा जारी किए गए विवरण में इंगित किया गया है, तो घोषणाकर्ता किसी भी धनवापसी का हकदार नहीं होगा।

धारा 125 योजना के तहत घोषणा -

(1) निम्नलिखित को छोड़कर सभी व्यक्ति इस योजना के तहत घोषणा करने के पात्र होंगे, अर्थात्:—

(क) जिन्होंने अपीलीय मंच के समक्ष अपील दायर की है और ऐसी अपील पर अंततः 30 जून, 2019 को या उससे पहले सुनवाई की गई है;

(ख) जिन्हें उस मामले के लिए अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए वह घोषणा दायर करने का इरादा रखता है;

(ग) जिन्हें अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और अंतिम सुनवाई 30 जून, 2019 को या उससे पहले हुई है;

(घ) जिन्हें अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के तहत गलत धनवापसी या धनवापसी के लिए कारणदर्शक नोटिस जारी किया गया है;

(ङ) जिनका जाँच या जाँच के अधीन किया गया

उक्त जांच या जांच या लेखापरीक्षा में शामिल कर्तव्य की राशि 30 जून, 2019 को या उससे पहले निर्धारित नहीं की गई है;

(च) स्वैच्छिक प्रकटीकरण करने वाला व्यक्ति -

((i) किसी भी जांच या जांच या लेखापरीक्षा के अधीन होने के बाद; या

(ii) अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के तहत एक विवरणी दाखिल की है, जिसमें उसने देय शुल्क की राशि का संकेत दिया है, लेकिन इसका भुगतान नहीं किया है;

(छ) जिन्होंने किसी मामले के निपटारे के लिए निपटान आयोग में आवेदन दायर किया है;

(ज) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची में निर्धारित उत्पाद शुल्क वस्तुओं के संबंध में घोषणा करने के इच्छुक व्यक्ति।

(2) उप-धारा (1) के तहत एक घोषणा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में की जाएगी जो निर्धारित की जाए।

(7) उपरोक्त उद्धृत धाराओं और सर्वक्षमा योजना के अन्य प्रावधानों को पढ़ने से, योजना की सामग्री और पहुंच को नीचे दिया समझाया गया है:

(क) कोई भी व्यक्ति घोषणा दायर कर सकता है (i) यदि कारण बताएँ नोटिस या अपील निर्णय के लिए लंबित है, सिवाय इसके कि जहां अंतिम सुनवाई पहले ही समाप्त हो चुकी है (ii) यदि दायित्व अवशिष्ट हो गया है (iii) यदि जांच/लेखा परीक्षा/पड़ताल के कारण कर्तव्य दायित्व

30.06.2019 को या उससे पहले निर्धारित किया जा चुका है

(iv) स्वैच्छिक प्रकटीकरण के रूप में बशर्ते कि उसकी जाँच/लेखा परीक्षा/पड़ताल नहीं की गई हो।

(ख) धारा 125 (1) के खंड (च) का उपखंड (ii) किसी ऐसे व्यक्ति को स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तहत घोषणा दायर करने से रोकता है जिसने पहले ही दायित्व का खुलासा करते हुए विवरणी दाखिल कर दी है, जबकि 'बकाया' की परिभाषा में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं और धारा 124 (1) (ग) (iii) प्रतिरक्षा का विस्तार कर रही है, इस प्रकार एफ. ए., 2019 की धारा 124 और 125 के उपरोक्त खंडों के बीच स्पष्ट विरोधाभास है।

(iii) योजना डब्ल्यू. ई. एफ. 1.9.2019 से लागू हुई और कोई भी व्यक्ति 31.12.2019 पर या उससे पहले घोषणा पत्र दाखिल कर सकता था।

(iv) धारा 125 किसी भी व्यक्ति के पात्रता के संबंध में कोई तारीख निर्धारित नहीं करती है। प्राइवेट लिमिटेड हालांकि 30 जून 2019 को घोषणाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए विशेष रूप से अधिसूचित किया गया है।

(8) एफ. ए., 2019 की धारा 121 (जी) और (एम) के तहत अभिव्यक्ति जांच/जांच के साथ-साथ लेखा परीक्षा को परिभाषित किया गया है। धारा 121 (जी) और (एम) में कहा गया है:

धारा 121 (जी) "लेखापरीक्षा" का अर्थ है किसी जांच या जांच के अलावा अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के तहत की गई कोई भी जांच, सत्यापन और जांच, और तब शुरू होगी जब केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी से लेखापरीक्षा के संचालन के बारे में लिखित सूचना प्राप्त होगी।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जसवंत सिंह, जे.)

(एम) किसी भी अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के तहत "जांच या पड़ताल" में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे, अर्थात्:- ((i) परिसर की खोज;

((ख) समन जारी करना;

((ग) लेखा, दस्तावेज या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता;

((iv) बयानों की रिकॉर्डिंग;

(9) खंड 121 (विभिन्न अभिव्यक्तियों की परिभाषा सहित) की उपरोक्त उद्धृत उप-खंडों के अनुसार, परिसरों की तलाशी, सम्मन देना करने, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने या बयान दर्ज करने या केंद्रीय आबकारी अधिकारी से लिखित सूचना प्राप्त करने पर जांच, जांच या लेखा परीक्षा शुरू होती है।

(10) याचिकाकर्ता ने 2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 8341 में तर्क दिया है कि कथित पत्र दिनांक 14.10.2019 उन्हें कभी नहीं दिया गया था और 2020 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 9132 में तर्क दिया गया है कि कथित सम्मन देना दिनांक 17.12.2019 'बकाया' की श्रेणी के तहत दायर पहली घोषणा की अस्वीकृति के बाद दिया गया था, हालांकि 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' की श्रेणी के तहत दायर नए आवेदन को दाखिल करने से पहले। यहां यह ध्यान देना उचित होगा कि प्रत्यर्थी ने प्रतिवादी साथ 14.10.2019 दिनांकित पत्र की प्रति संलग्न नहीं की है और याचिकाकर्ता ने याचिका के साथ-साथ प्रतिकृति में भी इस तथ्य को इंगित किया है।

(11) पहली/दूसरी घोषणा दाखिल करने से पहले या बाद में सूचना की प्राप्ति या गैर-प्राप्ति के सवाल में गए बिना, हम पाते हैं कि वर्तमान याचिकाओं को इस आधार पर अनुमति दी जानी चाहिए कि जांच/पड़ताल शुरू करने के लिए सूचना/समन योजना शुरू होने की तारीख के बाद जारी किए गए थे। अप्रत्यक्ष कर, स्वैच्छिक प्रकटीकरण, अवशिष्ट या किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए विभिन्न व्यक्तियों के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं निर्धारित की गई है। अधिसूचना संख्या 5/2019-CE के अनुसार योजना। (एन. टी.) दिनांक 21.8.2019 डब्ल्यू. ई. एफ. 01.09.2019 लागू हुआ और घोषणा 31.12.2019 तक दाखिल की जा सकती थी। इसका मतलब है कि अधिकांश व्यक्तियों के लिए, 30 जून 2019 को प्रासंगिक तिथि माना गया था और 'बकाया' की श्रेणी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था, हालांकि प्रतिवादी के अनुसार स्वैच्छिक प्रकटीकरण की अनुमति नहीं थी, भले ही 1.9.2019 के बाद जांच शुरू की गई हो। एफ. ए., 2019 की धारा 125 कुछ व्यक्तियों को घोषणा दायर करने से रोकती है, लेकिन कुछ श्रेणियों जैसे कि लंबित कारण बताएँ नोटिस, लंबित अपील आदि के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं करती है। 30.6.2019 को अंतिम तिथि के रूप में अधिसूचित किया गया है। यदि विधायिका का इरादा स्वैच्छिक प्रकटीकरण श्रेणी के तहत किसी व्यक्ति की स्थिति पर विचार करने का होता, तो घोषणा दाखिल करने की तारीख को योजना शुरू करने की तारीख के बजाय, धारा 125 या एफ. ए., 2019 की किसी अन्य खंड

में ऐसा प्रावधान किया गया होता। इस तरह के किसी भी प्रावधान की अनुपस्थिति में, यह योजना और विधायिका के इरादे के विपरीत होगा कि घोषणा दायर करने की तारीख को किसी व्यक्ति का दर्जा प्रासंगिक है। यह योजना डब्ल्यू. ई. एफ. 1.9.2019 से लागू हुई, इस प्रकार उक्त तिथि को अधिकार/देनदारियां, पात्रता और गैर-पात्रता को रोक दिया गया। यदि प्रतिवादी द्वारा दिए गए दावे को बरकरार रखा जाता है, तो 'स्वैच्छिक प्रकटीकरण' की श्रेणी के तहत घोषणा दायर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए पात्रता की अलग-अलग तिथियां होंगी। इस प्रकार, प्रतिवादी के असमर्थनीय होने का तर्क हमें आकर्षित नहीं करता है।

(12) सर्वक्षमा योजना लाभकारी कानून और उदार व्याख्या का एक हिस्सा है जो योजना को सफल बनाता है। लाभकारी विधान के इरादे और उद्देश्य को हतोत्साहित करने वाली सख्त व्याख्या से बचा जाना चाहिए। हमारी राय मजबूत हुई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले से ब्रह्मपाल @ सम्मय और अन्य बनाम राष्ट्रीय बीमा कम्पनी की दीवानी याचिका सं 2926 ने 07.08.2020 पर निर्णय लिया।

(13) धारा 125 (1) (च) किसी व्यक्ति को किसी भी जांच या जांच या लेखा परीक्षा के अधीन होने के बाद स्वैच्छिक प्रकटीकरण करने से रोकती है। प्रतिवादी के अनुसार, जांच शुरू करने की तारीख अप्रासंगिक है क्योंकि उपरोक्त खंड उस व्यक्ति को प्रतिबंधित करता है जिसे जांच के अधीन किया

गया है। यदि घोषणा दाखिल करने की तारीख को, जांच के रूप में कुछ नोटिस लंबित है, यद्यपि 1.9.2019 के बाद जारी किया जाता है, तो आवेदक को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (संक्षेप में 'बोर्ड') ने योजना के दायरे को बढ़ाने के लिए विभिन्न परिपत्र जारी किए हैं। सर्कुलर दिनांक 29.10.2019 एक व्यक्ति को घोषणा दायर करने की अनुमति देता है जिसने 30.6.2019 के बाद अपील दायर की है, हालांकि वह एफ. ए., 2019 के अनुसार अन्यथा हकदार नहीं है। इसी तरह, 12.12.2019 दिनांकित परिपत्र के पैरा 2 (viii) के अनुसार, जहाँ 1.7.2019 पर या उसके बाद कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया है, आवेदक योजना का विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं है फिर भी 'बकाया' की श्रेणी के तहत आवेदन दायर किया जा सकता है। निकाले गए परिपत्र दिनांक 29.10.2019 का पैरा 2 (vii) और परिपत्र दिनांक 12.12.2019 का पैरा 2 (viii):

29.10.2019 दिनांकित परिपत्र का पैरा 2 (vi):

(vi) अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं कि जिन मामलों में 30.06.2019 के बाद अपील दायर की गई थी, उन्हें भी योजना के तहत राहत दी जानी चाहिए। यह कहा गया है कि ऐसे मामले अपने आप में शामिल नहीं हैं। हालाँकि, यदि कोई करदाता अपील वापस लेता है और परिपत्र संख्या 1072/05/2019-CX दिनांक 25.09.2019 के पैरा 2 (viii) के संदर्भ में

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जसवंत सिंह, जे.)

विभाग को वचन देता है, तो वे योजना के तहत एक घोषणा दायर कर सकते हैं।

12.12.2019 दिनांकित परिपत्र का पैरा 2 (viii):

(viii) ऐसे मामले हो सकते हैं जहां आई. डी. 1 पर या उसके बाद कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था और ऐसे मामले भी किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं जैसे कि जांच या जांच या लेखा परीक्षा और कर बकाया की मात्रा आई. डी. 2 पर या उससे पहले निर्धारित नहीं की गई है। हालाँकि, 'बकाया' श्रेणी के तहत पात्र ऐसे मामले अन्य शर्तों की पूर्ति के आधार पर होते हैं जैसे कि अपील की अवधि समाप्त हो गई है या अपील को अंतिम रूप मिल गया है या यह वचन देने वाला व्यक्ति कि वह मामले में आगे कोई अपील दायर नहीं करेगा (सदस्य का डी. ओ. पत्र एफ. नं. 267/78/19 CX. 8 दिनांक 30 अक्टूबर, 2019)। चूंकि इस योजना के पीछे मुख्य उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के तहत पुराने मामलों को समाप्त करना है, इसलिए यह वांछनीय होगा कि उपरोक्त मामलों में करदाता को भी इसका लाभ उठाने का अवसर दिया जाए। इसलिए, क्षेत्रीय दलों को ऐसे मामलों का जायजा लेने और सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए चल रही न्यायिक कार्यवाही को तेजी से पूरा करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा, यह भी वांछनीय होगा कि ऐसे मामलों

में समीक्षा की प्रक्रिया भी तेजी से की जाए ताकि नामित समितियां योजना के तहत निर्धारित समय के भीतर कर बकाया निर्धारित करने में समर्थ हों।

(14) उपरोक्त उद्धृत परिपत्र सरकार के इरादे को स्पष्ट और आसान करते हैं। बोर्ड ने उन व्यक्तियों को घोषणा दायर करने की अनुमति दी है जिन्हें एफ. ए., 2019 की धारा 125 द्वारा बाहर रखा गया है जैसे कि कारण दर्शाएँ नोटिस या अपील की सुनवाई 30.06.2019 को या उससे पहले समाप्त हो गई है या 30.6.2019 के बाद कारण बताएँ नोटिस जारी किया जाता है, हालांकि 30.6.2019 पर या उससे पहले शुल्क की मात्रा निर्धारित नहीं की गई थी। अभिलेख पर ऐसा कोई परिपत्र नहीं है जो स्पष्ट करता हो कि घोषणा दाखिल करने की तारीख पर कोई जांच लंबित नहीं होनी चाहिए, हालांकि हमारी राय के अनुसार यह योजना के विपरीत होगी।

(15) हमारी अदालतें टालने योग्य मुकदमों से भरी हुई हैं और सरकार ने वर्तमान योजना के माध्यम से मुकदमेबाजी को कम करने और राजस्व उत्पन्न करने के लिए कदम उठाए हैं, इस प्रकार योजना के इरादे और उद्देश्य के साथ-साथ बोर्ड परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए, एफ. ए., 2019 की खंड 125 की उदारता से व्याख्या करना उचित होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि स्वैच्छिक प्रकटीकरण के मामले में, एफ. ए., 2019 की खंड 124 (1) (ई) के अनुसार कर देयता से कोई छूट उपलब्ध नहीं है, हालांकि अवशिष्ट सहित अन्य श्रेणियों में कर देयता के 40 प्रतिशत से छूट उपलब्ध है।

(16) यह योजना डब्ल्यू. ई. एफ. 01.09.2019 से लागू हुई, इस प्रकार उपरोक्त तिथि के बाद शुरू की गई कोई भी जांच/लेखा परीक्षा/पड़ताल किसी भी व्यक्ति को अयोग्य नहीं बना सकती क्योंकि 01.09.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि आवेदन दाखिल करने के लिए है और 01.09.2019 के बाद होने वाली कोई भी घटना किसी भी व्यक्ति को योग्य या अयोग्य नहीं बना सकती है। कोई भी अन्य व्याख्या योजना के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगी क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच भेदभाव होगा जो समान रूप से 01.09.2019 पर स्थित हैं लेकिन उनमें से किसी एक के खिलाफ जांच शुरू की जाती है।

(17) उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में, हम पाते हैं कि वर्तमान याचिकाओं को अनुमति दी जानी चाहिए और तदनुसार अनुमति दी जाती है। विवादित आदेशों को इसके द्वारा अलग कर दिया जाता है।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

